>

Title: Need to ensure the legitimate use of coal block allotted in Parbatpur in Bokaro district of Jharkhand.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): झारखंड सहित अन्य राज्यों से संबंधित कोयला खदानों में लौह, इस्पात उद्योगों और विद्युत संयंत्रों के विकास के लिए कोल ब्लॉकों का आबंटन किया गया है, जिसमें बोकारो जिला के पर्वतपुर कोल ब्लॉक का आबंटन मेसर्स इलैक्ट्रो स्टील कॉस्टिंग लिमिटेड को किया गया है। इस संबंध में मई, 2010 में इस सदन के माध्यम से सरकार को अवगत कराया था कि कोयले के उत्खनन एवं बिक्री के नियमों की अवहेलना की जा रही है और कोयले को झारखंड के बाहर हल्दीया पोर्ट भेजा जा रहा है। इससे भारत सरकार को राजस्व की हानि के साथ-साथ वन की भूमि पर खनन का कार्य किया जा रहा है। इसलिए अविलंब खनिज उत्खनन (माइंस) का आबंटन रद्द किया जाए।

सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त मामले की स्थिति स्पष्ट की जाए।